भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2395

उत्तर देने की तारीख-04/08/2025

कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय

†2395.श्री भास्कर मुरलीधर भगरे:
डॉ. अमोल रामसिंग कोल्हे:
श्री धैर्यशील राजसिंह मोहिते पाटील:
प्रो. वर्षा एकनाथ गायकवाड़:
श्रीमती सुप्रिया सुले:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में देश में, विशेषकर महाराष्ट्र में कार्यशील कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों (केजीबीवी) की जिला-वार संख्या कितनी है;
(ख) इन केजीबीवी में नियुक्त शिक्षण और गैर-शिक्षण स्टाफ की कुल संख्या कितनी है;
(ग) क्या किसी केजीबीवी में, विशेषकर महाराष्ट्र में, शिक्षकों की कमी है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा रिक्तियों को भरने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;
(घ) क्या सरकार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग/अल्पसंख्यक समुदायों की छात्राओं के लिए केजीबीवी योजना के अंतर्गत आवासीय शैक्षणिक सुविधाएँ प्रदान कर रही है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ङ.) विभिन्न वंचित समूहों के बीच छात्राओं के चयन और सीटों के आवंटन हेतु अपनाए गए मानदंडों का ब्यौरा क्या है;
(च) क्या इस योजना के अंतर्गत देश के जनजातीय क्षेत्रों में, विशेषकर महाराष्ट्र में, स्कूल न जाने वाली और स्कूल की पढ़ाई बीच में ही छोड़ देने वाली छात्राओं को शामिल करने का कोई प्रावधान है;
(छ) क्या सरकार का देश में, विशेषकर महाराष्ट्र में केजीबीवी की संख्या बढ़ाने का विचार है; और
(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जयन्त चौधरी)

(क): कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (केजीबीवी), अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग जैसे सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित समूहों (एसईडीजी) की बालिकाओं के लिए कक्षा 6 से 12 तक के आवासीय विद्यालय, समग्र शिक्षा की केंद्र प्रायोजित योजना का एक हिस्सा हैं। दिनांक 30.07.2025 की स्थिति के अनुसार, देश में कुल 5,138 केजीबीवी कार्यात्मक हैं, जिनमें महाराष्ट्र के 83 केजीबीवी शामिल हैं। महाराष्ट्र में कार्यात्मक केजीबीवी की जिला-वार सूची अनुलग्नक-I में दी गई है।

(ख) और (ग): शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची में है और केजीबीवी संबंधित राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनिक नियंत्रण में हैं। केजीबीवी के संचालन और कामकाज से संबंधित मामले, जिसमें केजीबीवी के शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की भर्ती और तैनाती शामिल है, संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। केजीबीवी के शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की भर्ती राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा केजीबीवी के लिए संबंधित राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के नियमों और शर्तों के अनुसार की जाती है। शिक्षकों की भर्ती एक सतत प्रक्रिया है। केंद्र सरकार, समग्र शिक्षा के माध्यम से, स्कूली शिक्षा के विभिन्न स्तरों के लिए निर्धारित मानदंडों के अनुसार उपयुक्त छात्र-शिक्षक अनुपात बनाए रखने के लिए केजीबीवी में शिक्षकों की तैनाती हेतु राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता प्रदान करती है।

(घ) से (च): केजीबीवी 10-18 वर्ष आयु वर्ग की बालिकाओं के लिए भोजन, आवास, पेयजल एवं स्वच्छता, चिकित्सा देखभाल आदि जैसी बुनियादी आवासीय सुविधाओं के साथ-साथ आईसीटी प्रयोगशालाएँ, पुस्तकालय, व्यावसायिक शिक्षा आदि जैसी शैक्षिक सुविधाएँ प्रदान करते हैं। इस योजना की लक्षित प्रकृति को देखते हुए, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग आदि जैसे विशेष आर्थिक समूहों की बालिकाओं को इन आवासीय विद्यालयों में नामांकन के लिए प्राथमिकता दी जाती है। इसके अलावा, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र केजीबीवी में बालिकाओं को बनाए रखने के लिए विशेष नामांकन अभियान, जागरूकता अभियान, सामुदायिक भागीदारी और पाठ्येतर गतिविधियाँ भी आयोजित करते हैं।

(छ) और (ज): केजीबीवी की स्थापना उन चिन्हित शैक्षणिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों में की जाती है, जहाँ वर्ष **2001** की जनगणना के अनुसार, ग्रामीण महिला साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से कम है और जहाँ सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, जनजातीय कार्य मंत्रालय या राज्य सरकार की किसी अन्य योजना के अंतर्गत आवासीय विद्यालय नहीं हैं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को नए केजीबीवी की स्वीकृति के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की समग्र शिक्षा के अंतर्गत वार्षिक कार्य योजना में प्रस्ताव प्रस्तुत करना होता है, जिसकी जाँच और अनुमोदन परियोजना अनुमोदन बोर्ड द्वारा किया जाता है।

******

अनुलग्नक-I

माननीय संसद सदस्यों श्री भास्कर मुरलीधर भगरे, डॉ. अमोल रामसिंग कोल्हे, श्री धैर्यशील राजसिंह मोहिते पाटील, प्रो. वर्षा एकनाथ गायकवाड़, श्रीमती सुप्रिया सुले द्वारा दिनांक 04.08.2025 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2395 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित परिशिष्ट।

महाराष्ट्र में कार्यरत केजीबीवी की जिला-वार सूची

क्र.सं.	**जिला**	**कार्यात्मक केजीबीवी की संख्या**
1	बीड	6
2	गडचिरोली	10
3	जलना	14
4	हिंगोली	1
5	कोल्हापुर	2
6	नासिक	8
7	नंदुरबार	10
8	नांदेड़	8
9	पालघर	10
10	परभनी	14
	कुल	**83**

(स्रोत: राज्य से प्राप्त इनपुट)